

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 6433-6475

दिनांक : 24.12.24

:- कार्यालय आदेश :-

में मौहम्मद आजम, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह जनवरी-2026** में पड़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ, जो अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	अवकाश तिथि	मोबाईल नंबर
1	अमित कुमार शर्मा ए.सी.जे.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी) कोटा	04.01.2026	9887862646
2	अमन गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (दक्षिण), कोटा	10.01.2026	9407346581
3	कुसुम मीणा ए.सी.जे.एम. नंबर - 2 कोटा	11.01.2026	8287764226
4	अजय प्रताप सिंह ए.सी.जे.एम. नंबर - 6 कोटा	18.01.2026	9461968456
5	विनय जयपुरिया विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-3 कोटा	24.01.2026	8595746104
6	कनिष्का ऋषि न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (दक्षिण), कोटा	25.01.2026	8619390766
7	रिचा शेखावत न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर), कोटा	26.01.2026	9414430303

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

4. राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (रिमाण्ड इयूटी) हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय के अतिरिक्त उक्त इयूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
5. अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किये जायेंगे। मुलजिम को न्यायालय में निर्धारित समय में पेश नहीं कर निवास पर पेश करने पर संबंधित पुलिस कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति पश्चात ही मुलजिम को अधिकारी के निवास पर पेश किया जावेगा। निवास पर पेश करते समय मुलजिम को सीधे निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

(मौहम्मद आजम) 24/12/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

क्रमांक: 6433-6478

दिनांक: 24.12.25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिए ई-मेल प्रेषित है :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा को सादर
- पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण को अपने अधीनस्थ थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5/6/7/रेल्वे/(पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण) /किराया अधिकरण/रामगंजमण्डी/दीगोद/सांगोद कोटा।
- प्रमुख मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर/दक्षिण, कोटा।
- अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5 (उत्तर) कोटा।
- अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5 (दक्षिण) कोटा।
- विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-1/2/3/4 कोटा।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी/दीगोद/कनवास/इटावा कोटा।
- ग्राम न्यायालय, इटावा/रामगंजमण्डी, कोटा।
- सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को ए.पी.पी. की इयूटी की व्यवस्था हेतु।
- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, कोटा।
- नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा।
- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

(मौहम्मद आजम) 24/12/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)